

न्यायालय— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।

प्रकीर्णवाद सं०—91/2019
जगतपाल बनाम रामऔतार आदि

धारा—155(2) द०प्र०सं०
थाना—कर्वी
जिला—चित्रकूट।

01.02..2019

प्रार्थना पत्र सुना तथा एन०सी०आर० का अवलोकन किया। एनसी०आर० के अवलोकन से पाया जाता है कि संबंधित थाना में एन०सी०आर० पंजीकृत है। विवेचना का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष कर्वी को आदेशित किया जाता है कि आधात आख्या के प्रकाश में एन०सी०आर० सं०—634/2018 की नियमानुसार विवेचना कर अनुपालन आख्या अंदर सप्ताह न्यायालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चित्रकूट।